रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 1988/पौष 21, 1909
No. 26] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 1988/PAUSA 21, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

(विकास आयुक्त का कार्यालय (भेषजिक उद्योग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1988

सा.आ. 46(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 8 के उप-पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 5 में यथा विनिर्दिष्ट कीमत को, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की

तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग I के सूत्रयोग की, जिनकी प्रबलता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तम्भ 3 और स्तम्भ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, अधिकतम कीमत, जिसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं हैं, नियत करती है :—

सारणी

क्र० सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक का आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
1.	क्लोरोक्विन फास्फेट टिकिया	250मिग्रा/टिकिया	10× 10 का पत्ता	32.88
2.	क्लोरोक्विन फास्फेट इंजेक्शन	64.5मिग्रा/मिली	5× 5 मिली एम्प्यूल	8.17
3.	क्लोरोक्विन फास्फेट शर्बत	160मिग्रा/10 मिली	60 मिली बोतल	5.79
4.	क्लोरोक्विन सल्फेट टिकिया	200 मिग्रा/टिकिया	4 का पत्ता	1.31
5.	क्लोरोक्विन सल्फेट इंजेक्शन	40 मिग्रा/मिली	10× 2मिली एम्प्यूल	12.02
6.	क्लोरोक्विन सल्फेट इंजेक्शन	40 मिग्रा/मिली	10× 5 एम्प्यूल	17.20

[सं. 8(26)/87-पीआई-II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (पी.आई.)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner

(Pharmaceutical Industry)

ORDER

New Delhi, the 11th January, 1988

S.O. 46(E):—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby fixes the price as specified in column 5 of the Table below as the ceiling price exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Category I formulations specified in corresponding

entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof :

TABLE

Sl.No.	Name of the Formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Chloroquin Phosphate Tablets	250mg/Tablet	10×10's Strip	32.88
2.	Chloroquin Phosphate Injection	64.5mg/ml	5×5ml Ampoules	8.17
3.	Chloroquin Phosphate Syrup	160mg/10ml	60ml. Bottle	5.79
4.	Chloroquin Sulphate Tablets	200mg/Tablet	4's Strip	1.31
5.	Chloroquin Sulphate Injection	40mg/ml	10×2ml Ampoules	12.02
6.	Chloroquin Sulphate Injection	40mg/ml	20×5 Ampoules	17.20

[No. 8(26)/87-PI (II)]

R. S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (PI)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988